प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिलाः–** ए.सी.बी. एस.यू. कोटा **थाना :–** प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या ......111/23...... **दिनांक** 9/5/2023
2. (A) **'अधिनियम**–भष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा 7
(B) **'अधिनियम –** ....**धारायें –** ....
(C) **'अधिनियम**..**धारायें**..
(D) **'अन्य अधिनियम धारायें**..
3. (अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या**...............195.........**समय**.........5:40 P.M..........
(ब) **अपराध घटने का दिन :–**गुरूवार **दिनांक :–**22.12.2022
(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक** : 21.12.2022 **मय** : 05:40 पीएम
4. **सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक –** लिखित (हस्तलिखित)
5. **घटना स्थलः–**
(अ) **पुलिस थाना/चौकी से दिशा व दूरीः–** उत्तर पूर्व दिशा, लगभग 80 कि.मी.
(ब) **पता :–** पुलिस थाना अयाना जिला कोटा ग्रामीण
जरायम देही संख्या....................
(स) **यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो**
पुलिस थाना – अयाना **जिला –** कोटा ग्रामीण
6. **परिवादी/सूचनाकर्ता :–**
(अ) **नामः–** श्री जोगराज योगी
(ब) **पिता का नाम –** श्री रामप्रसाद
(स) **जन्म तिथी/ उम्र :–** 50 वर्ष
(द) **राष्ट्रीयता :–** भारतीय
(य) **पासपोर्ट संख्या**..**जारी होने की तिथी**.......
जारी होने की जगह..
(र) **व्यवसाय–**
(ल) **पता –** सरोवर नगर, ईटावा थाना ईटावा जिला कोटा ग्रामीण
7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–**
श्री महीपाल पुत्र श्री नैनाराम लिगा जाति जाट उम्र 28 साल निवासी ग्राम पोस्ट खेरवा तहसील व थाना डेगाना जिला नागौर हाल कानिस्टेबल 1108 थाना अयाना कोटा ग्रामीण।
8. **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः– कोई नहीं।**
9. **चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).**
10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य. :–** ....
11. **पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)**..
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–**

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 21.12.2022 को समय 05:40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक अनिता वर्मा के पास राजकार्य से जयपुर रवानाशुदा श्री धर्मवीर सिंह उप अधीक्षक पुलिस प्रभारी एसीबी स्पेशल यूनिट कोटा का जरिये दूरभाष कॉल आया। जिन्होने बताया कि "मुझे मुख्यालय भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर से जरिये 1064 सूचना दी गई है कि परिवादी श्री जोगराज योगी निवासी ईटावा से थाना अयाना के थानाधिकारी व कानि. द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। आप परिवादी श्री जोगराज योगी के मोबाईल नम्बर 9352503747 पर कॉल कर सम्पर्क कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें।" इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष परिवादी श्री जोगराज योगी के मोबाईल नम्बर 9352503747 पर बात की गई तो परिवादी ने स्वयं का नाम जोगराज योगी निवासी ईटावा होना बताया तथा बताया कि "मैं किराये पर जायलो गाड़ी चलाता हूँ। मैं किसी पार्टी के साथ बुकिंग पर मेरी कार लेकर भौपाल गया था। वह पार्टी नाता विवाह के लिए औरत लाने गई थी। फिर उनके कोई आपसी विवाद होने पर उन्होने थाना अयाना में कोई शिकायत दे दी है। जिस पर थाना अयाना की थानाधिकारी व महीपाल सिंह कानि. मुझसे 40,000 रूपये रिश्वत मांग रहे हैं तथा मुझसे 20,000 रूपये ले चुके हैं व 20,000 रूपये और देने की कह रहे है तथा रूपये नहीं देने पर मुकदमा बनाकर मुझे मुलजिम बनाने की कह रहे हैं। उन्होने मुझे

Anita

कल सुबह बाकी के पूरे पैसे 20,000 रूपये लेकर थाने पर बुलाया है।'' इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी जोगराज योगी को रिश्वत के गोपनीय सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया तथा बताया कि कल सुबह दिनांक 22.12.2022 को कार्यालय के श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर लेकर कस्बा इटावा आपके पास आ जायेंगे और परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में व परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने की समझाईश की गई। समय 06:00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक अनिता वर्मा द्वारा श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि0 123 को अपने पास बुलाकर परिवादी श्री जोगराज योगी की शिकायत के बारे में बताया गया तथा कल सुबह दिनांक 22.12.2022 को कस्बा इटावा जाकर परिवादी से उसके मोबाईल नम्बर 9352503747 पर सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश दिये गये।

परिवादी द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन के कम में दिनांक 22.12.2022 को समय 07:30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक अनिता वर्मा द्वारा श्री रामगोपाल हैडकानि. मालखाना इंचार्ज से कार्यालय के मालखाना से सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकलवाया जाकर श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. 123 को सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री जोगराज योगी की शिकायत के सम्बन्ध में हैड कानि. को पुनः अवगत करवाया गया। परिवादी के मोबाईल नम्बर श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. को देकर निर्देशित किया कि आप कस्बा ईटावा पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क करें तथा परिवादी पर निगरानी बनाये रखने की समझाईश कर बाद सत्यापन संपूर्ण हालात से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु श्री योगेन्द्र सिंह हैडकानि 123 को कस्बा इटावा रवाना किया गया। समय 04.10 पीएम पर श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि ''मैं आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर अयाना बस स्टेण्ड पहुंचा। परिवादी से उसके मोबाईल नम्बर पर बात की तो परिवादी श्री जोगराज योगी मेरे पास बस स्टेण्ड पर ही आ गये। परिवादी ने थाना अयाना में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करने एवं मारपीट नहीं करने की एवज में थानाधिकारी श्रीमति बृजबाला एवं श्री महीपाल सिंह कानि. द्वारा रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र मुझे प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र मैने मेरे पास रखकर हालात जरिये दूरभाष आपको निवेदन किये। तद्परान्त निर्देशानुसार डिजीटल वॉईस रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द कर उसे चालू व बन्द करने की विधिवत प्रक्रिया भली भांति समझाई। इसके बाद मैं व परिवादी उसकी मोटरसाईकिल से पुलिस थाना अयाना के पास पहुंचे परिवादी ने अपने स्तर पर मालूम कर समय 03:00 पीएम करीब बताया कि आरोपीगण थाने पर ही उपस्थित हैं। परिवादी श्री जोगराज योगी को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर आरोपीगण से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में गोपनीय सत्यापन हेतु थाना अयाना रवाना किया। मैं थाने के बाहर नजदीक रहकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी की निगरानी करने लगा। थोड़ी देर में परिवादी दो व्यक्तियों के साथ एक कार में बैठकर थाने के बाहर निकला तथा मांगरोल रोड़ पर कुछ दूरी पर स्थित चाय की दुकान पर रूके। कुछ देर बाद तीनों उसी कार से वापस थाने के पास आये, परिवादी व एक व्यक्ति थाने के बाहर कार से उतरे तथा कार वाला व्यक्ति कार से वहां से चला गया। एक व्यक्ति थाने में चला गया तथा परिवादी उसकी मोटरसाईकिल लेकर मेरे पास पहुंचा। परिवादी ने बंद डिजीटल वॉईस रिकार्डर मुझे दिया जिसे मैंने अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी श्री जोगराज योगी ने मुझे बताया कि मेरी श्री महीपाल सिंह कानि. थाना अयाना से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में बातचीत हो गई है, महीपाल कानि ने मुझे मेडम द्वारा आरोपी नहीं बनाने व मेरे साथ मारपीट नहीं करने की एवज में 20000 रूपये रिश्वत राशि पुर्व मे प्राप्त करने तथा शेष रही रिश्वत राशि 20,000 रूपये कल सुबह देने के सम्बन्ध में महीपाल कानि से बात हुई है तथा महीपाल सिंह कानि0 ने मुझसे पूरे पैसे 20,000 रूपये एक साथ लेकर आने को कहा है, मेरे व महीपाल सिंह कानि. के मध्य हुई सारी बातचीत आपके सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई है।'' इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. को मय परिवादी के रवाना होकर कार्यालय हाजा पर पहुंचने के निर्देश दिये गये। श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. द्वारा दूरभाष पर बताये हालात अनुसार ट्रेप कार्यवाही का आयोजन दिनांक 23.12.2022 को प्रातः ही किया जाना सम्भावित होने से ट्रेप कार्यवाही के आयोजन हेतु दो सरकारी स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना, समन्वय, कोटा के नाम तहरीर जारी कर श्री लालचन्द कानि. 30 को दो सरकारी कर्मचारी दिनांक 23.12.2022 को प्रातः 10:00 एएम पर कार्यालय हाजा पर भिजवाने हेतु पाबन्द करने के लिए कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना, समन्वय, कोटा रवाना किया गया। श्री लालचन्द कानि 30 कार्यालय हाजा वापस आया तथा बताया कि कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना, समन्वय कोटा जाकर दो स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेश कुमार यादव कनिष्ठ सहायक मोबाईल नम्बर 8005872992 व श्री गोपाल सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी मोबाईल नम्बर 6376554479 को दिनांक 23.12.2022 को समय

Anita

10:00 एएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाया जा चुका है। तहरीर को शामिल कार्यवाही किया गया। समय 06:45 पीएम पर श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. 123 मय परिवादी श्री जोगराज योगी के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. ने डिजीटल वॉईस रिकार्डर व परिवादी श्री जोगराज योगी द्वारा प्रस्तुत स्वयं को पेशशुदा लिखित प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक अनिता वर्मा को लाकर पेश किया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो प्रार्थना पत्र में अंकित है कि "मैं जोगराज योगी पुत्र श्री रामप्रसाद योगी जाति योगी उम्र 50 साल निवासी सरोवर नगर, इटावा जिला कोटा का रहने वाला हूँ। मेरे पास महिन्द्रा जायलो कार है, जिसे मैं किराये (बुकिंग) पर चलाता हूँ। मैं किसी पार्टी के साथ म0प्र0 गया था। उस पार्टी को नाता विवाह के लिए कोई औरत लेकर आनी थी। हमारी भोपाल तक जाने की बात हुई थी। हम उसी दिन वापस आ गये थे। फिर उनके आपस में कोई विवाद हो जाने पर उस पार्टी ने कोई शिकायत थाना अयाना में दी थी। दिनांक 18.12.2022 को मुझे थाना अयाना में बुलाया तो मैं दूसरे दिन थाना अयाना में पहुंचा। जहां पर बृजबाला सीआई मिली। जिन्होने कहा कि तू भी मुलजिम है, तेरे ऊपर मुकदमा लगाउंगी, तो मैने कहा मेडम मैं तो किराये (बुकिंग) पर गाड़ी चलाता हूँ। मैं तो बुकिंग पर मेरी कार जायलो ले गया था। इस पर मेडम नहीं मानी और मारपीट करी तथा 01 लाख रूपये मांगे तो मैने मेडम से रिक्वेस्ट की तो सीआई मेडम 40 हजार लेने हेतु मान गई। उस दिन 10 हजार रूपये मैने मेडम को दिये तो मेडम ने वह रूपये श्री महीपाल सिंह कानि. को दिला दिये। फिर मेडम ने कहा कि पूरे पैसे लेकर आना तो दूसरे दिन 10 हजार रू0 की ही व्यवस्था हो पाई। मैं 10 हजार रूपये पहुंचाने हेतु थाने पर गया तो महीपाल कानि0 मुझे मेडम के पास ले गया तो मेडम ने मुझसे पूरे पैसे मांगे। मैने 10 हजार रूपये की ही व्यवस्था हो पाने की बात कही तो मेडम ने मेरे साथ मारपीट करी तथा मुझसे 10 हजार रूपये ले लिये। मेडम ने मुझसे आज दिनांक 22.12.2022 को पूरे पैसे मांगे हैं, मुझे 11–12 बजे तक का समय दिया है। वह मुझसे रिश्वत के 20 हजार रूपये और मांग रहे हैं, मैं उन्हे रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ, मैं बृजबाला सीआई व महीपाल सिंह कानि. को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। इनसे मेरी कोई पुरानी रंजिश नहीं है, न ही कोई उधारी है। अतः मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करें।" मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री जोगराज योगी से पूछताछ करने पर परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद की। तत्पश्चात् परिवादी श्री जोगराज योगी ने बताया कि "आपसे दिनांक 21.12.2022 को शाम को मोबाईल पर हुई बातचीत के अनुसार आपके कार्यालय के श्री योगेन्द्र सिंह हैड साहब का आज सुबह मेरे पास फोन आया, जिन्होंने मुझे इटावा बस स्टेण्ड पर बुलाया। मैं इटावा बस स्टेण्ड पर इनके पास पहुंचा। मैंने इन्हे पुलिस थाना अयाना में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करने एवं मारपीट नहीं करने की एवज में थानाधिकारी श्रीमति बृजबाला एवं श्री महीपाल सिंह कानि. द्वारा रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। उसके बाद योगेन्द्र सिंह हैड कानि ने मुझे आपके कार्यालय का सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड देकर उसे चालू व बन्द करने का तरीका समझाया। इसके बाद मैं व योगेन्द्र सिंह हैड कानि मेरी मोटरसाईकिल से पुलिस थाना अयाना के पास पहुंचे। मैनें 03:00 पीएम करीब थानाधिकारी श्रीमति बृजबाला एवं श्री महीपाल सिंह कानि. के थाने पर ही मौजूद होने के बारे में मालूम कर श्री योगेन्द्र जी को बताया। श्री योगेन्द्र सिंह हैड साहब ने मुझे दिया हुआ डिजीटल वॉईस टेप रिकार्डर मुझसे चालू करवाकर आरोपीगण से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट बातचीत करने हेतु मुझे पुलिस थाना अयाना में आरोपीगण के पास भेजा। मैं थाने के अन्दर गया, जहां पर महीपाल सिंह कानि. खड़ा हुआ किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहा था, जिसे मैं भी चेहरे से पहचानता था लेकिन उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है। फिर मैं और महीपाल सिंह कानि. व अन्य व्यक्ति हम तीनों उस अन्य व्यक्ति की कार से मांगरोल रोड़ पर कुछ दूरी पर स्थित चाय की दुकान पर पहुचें। जहां पर मैंने महीपाल सिंह कानि. से बातचीत की तो उसने मुझे थानाधिकारी मेडम द्वारा आरोपी नहीं बनाने व मेरे साथ मारपीट नहीं करने की एवज में मुझसे 20000 रूपये पूर्व मे प्राप्त करने तथा शेष रिश्वत राशि 20,000 रूपये एक साथ कल सुबह लाकर देने के लिए कहा। इसके बाद हम तीनों चाय की दुकान से उसी कार से रवाना होकर थाने पर आये। अन्य व्यक्ति मुझे व महीपाल सिंह कानि. को थाना अयाना के बाहर छोड़कर उसकी कार से चला गया। महीपाल कानि थाने के अन्दर चले गये और मैं मेरी मोटरसाईकिल से थाने से रवाना होकर श्री योगेन्द्र सिंह हैडकानि के पास पहुंचा। मैने डिजीटल वॉईस रिकार्डर बन्द करके श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. को दे दिया तथा उन्हे सम्पूर्ण हालात बताये तथा बताया कि मेरे व महीपाल कानि. के मध्य हुई सारी बातचीत आपके सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई है। इसके बाद हम दोनों वहां से रवाना होकर आपके कार्यालय में आपके पास उपस्थित आये हैं। महीपाल कानि ने मुझे कल दिनांक 23.12.2022 को

Anita

शेष रिश्वत राशि 20,000 रूपये लेकर आने को कहा है।" श्री योगेन्द्र सिंह हैड कानि. से पूछने पर उसने परिवादी के कथनों एवं स्वयं द्वारा दूरभाष बताये कथनों की ताईद की। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की पुष्टि हुई तथा रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया। समय 08:00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने व कल दिनांक 23.12.2022 को रिश्वत राशि 20,000/-रूपये साथ लेकर समय 10:00 एएम पर अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को श्री रामगोपाल हैडकानि मालखाना इंचार्ज से सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। परिवादी की शिकायत को अग्रिम कार्यवाही के लिए शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 23.12.2022 को समय 10:00 एएम पर कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना, समन्वय, कोटा से पाबन्दशुदा दोनों सरकारी कर्मचारीगण श्री सुरेश कुमार यादव पुत्र श्री बंशीधर जाति अहीर उम्र 30 साल निवासी अणतपुरा पोस्ट दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर थाना अजीतगढ जिला सीकर हाल कनिष्ठ सहायक व श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री कैलाशनारायण जाति ब्राहम्ण उम्र 46 साल निवासी जैन मंदिर वाली गली छावनी पुलिस थाना गुमानपुरा जिला कोटा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सिंचाई विभाग कोटा गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये, जिनको कार्यालय में मुकीम किया गया। समय 10:10 एएम पर परिवादी श्री जोगराज योगी कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। दोनो सरकारी कर्मचारीगण का परिचय परिवादी जोगराज योगी से करवाया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पेश किये गये हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को दोनो कर्मचारीगण को पढ़कर सुनाया गया तथा कार्यवाही के संक्षिप्त हालात से अवगत करवाकर उन्हे होने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने बाबत् उनकी सहमति चाही गई तो दोनों ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने हेतू अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति व्यक्त की। दोनों स्वतंत्र गवाहान ने उक्त प्रार्थना पत्र को पढ़कर उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 10:30 एएम पर कार्यालय के मालखाना से श्री रामगोपाल हैड कानि. मालखाना इंचार्ज से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाया जाकर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर से उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी श्री जोगराज योगी व आरोपी श्री महीपाल सिंह कानिस्टेबल के मध्य दिनांक 22.12. 2022 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री लालचन्द कानि. 30 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया तथा रिकार्डशुदा वार्ता की परिवादी से पहचान करवाई गई तो वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज महीपाल कानिस्टेबल तथा तीसरी आवाज अन्य व्यक्ति की होना बताई। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री लालचन्द कानि. 30 से नियमानुसार तैयार करवाई गई। उक्त फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 01:35 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री जोगराज योगी पुत्र श्री रामप्रसाद योगी उम्र 50 साल जाति नाथ निवासी सरोवर नगर इटावा जिला कोटा ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से पांच पांच सौ रूपये के चालीस नोट कुल 20,000/-रूपये मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किये। नोटो का विवरण व नम्बर फर्द में अंकित किया गया। श्री रामगोपाल हैडकानि 108 द्वारा मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर एक अखबार के उपर थोडा सा फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर सभी नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर श्री रामगोपाल हैडकानि 108 से भली भांति लगवाया गया ताकि पाउडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार यादव से परिवादी श्री जोगराज योगी की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास उसके पहने हुये वस्त्रों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को श्री रामगोपाल हैडकानि 108 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई जैकिट के अन्दर बांयी जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री रामगोपाल हैडकानि 108 के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर परिवादी व गवाहान को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावें और न ही पाउडर लगे नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से हाथ लगावें, आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटों को अपनी जैकिट के अन्दर बांयी जैब में से निकाल कर उसे देवें तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर या

Anita

मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल पर मिसकॉल कर ईशारा करें। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी जरिये श्री रामगोपाल हैडकानि 108 से वापस मालखाने में रखवाई गई। इसके बाद गिलास के धोवन को श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 से बाहर फिकवाया गया। नोटो पर पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को श्री रामगोपाल हैडकानि से ही जलाकर नष्ट करवाया गया। गिलास एवं श्री रामगोपाल हैडकानि के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह से धुलाया जाकर गिलास को कार्यालय में ही छोडा गया। कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयों मय ढक्कन, कांच के गिलासों को साफ पानी व साबुन से पुनः अच्छी तरह से साफ करवाया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान व परिवादी एवं स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया तथा स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि यथासंभव परिवादी के आसपास रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन देन को देखनें व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिने जेब में रखवाया गया तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी से वक्त रिश्वत लेनदेन होने वाली बातचीत को डिजीटल वाइस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करे। फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टांत पृथक से नियमानुसार मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 02:06 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री जोगराज योगी, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेश कुमार यादव ,श्री गोपाल सिंह एवं एसीबी जाप्ता श्री योगेन्द्र सिंह हैडकानि 123, श्री दिलीप कानि 401, श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 परिवादी के प्राईवेट वाहन से व श्री धर्मवीर सिंह पुलिस उप अधीक्षक मय श्रीमति दीपिका राठौड़ पुलिस निरीक्षक मय एसीबी जाप्ता लालचन्द कानि 30 ,श्री अभिषेक कानि 197 के सरकारी वाहन मय चालक श्री घनश्याम कानि. 609 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, ईयर फोन के ट्रेप कार्यवाही हेतु कस्बा अयाना जिला कोटा के लिये रवाना हुई। श्री रामगोपाल हैडकानि 108 को कार्यालय में ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये। समय 04:00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री जोगराज योगी, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेश कुमार यादव, श्री गोपाल सिंह एवं एसीबी जाप्ता श्री योगेन्द्र सिंह हैडकानि 123 ,श्री दिलीप कानि 401, श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 के परिवादी के प्राईवेट वाहन से व श्री धर्मवीर सिंह पुलिस उप अधीक्षक मय श्रीमति दीपिका राठौड़ पुलिस निरीक्षक मय एसीबी जाप्ता लालचन्द कानि 30, श्री अभिषेक कानि 197 के सरकारी वाहन मय वाहन चालक श्री घनश्याम कानि 609 के कस्बा अयाना में थाना अयाना से कुछ दूरी पहले छत्रपुरा नहर के पास पहुंचे। परिवादी श्री जोगराज योगी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करवाकर रिश्वत लेन देन हेतु आरोपीगण के पास पुलिस थाना अयाना रवाना किया गया। श्री अब्दुल सत्तार कानि एवं स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल सिंह को परिवादी के पीछे-पीछे पुलिस थाना अयाना के आसपास निगरानी हेतु तैनात किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश, श्री धर्मवीर सिंह उप अधीक्षक पुलिस, श्रीमती दीपिका राठौड़ पुलिस निरीक्षक मय एसीबी जाप्ता के छत्रपुरा नहर से रवाना होकर पुलिस थाना अयाना के आसपास अपने-अपने वाहनों की उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे की प्रतिक्षा में मुकीम हुये। समय 04:30 पीएम पर परिवादी श्री जोगराज योगी मन् पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित आया तथा बताया कि "थाने पर उपस्थित स्टॉफ ने बताया है कि थानाधिकारी श्रीमती बृजबाला व महीपाल कानि. थाने पर नहीं है, श्रीमति बृजबाला थानाधिकरी श्री महीपाल कानि. व अन्य थाना स्टॉफ के साथ कहीं इलाके में बाहर जाना बताया है, मैंने अपने मोबाइल नम्बर 9785448558 से महीपाल कानि. के मोबाइल नम्बर 8209664068 पर फोन किया तो महीपाल कानि. ने मेरा फोन नहीं उठाया। काफी समय तक इन्तजार करने पर भी थानाधिकारी बृजबाल व महीपाल कानि. थाने पर नहीं आने पर मैनें डिजीटल वॉईस रिकार्डर बन्द कर लिया था तथा थाने से रवाना होकर मैं आपके पास वापस आ गया।" इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी एवं एसीबी टीम के गोपनीय स्थान पर आरोपीगण के थाने पर उपस्थित आने की प्रतीक्षा में मुकिम हुये। समय 05:57 पीएम पर परिवादी श्री जोगराज योगी को पुनः डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करवाकर रिश्वत लेनदेन होने पर मन् पुलिस निरीक्षक को तुरंत सूचित करने के आवश्यक निर्देश देकर आरोपीगण के पास पुलिस थाना अयाना रवाना किया गया। पूर्व से थाना अयाना के पास निगरानी हेतु तैनात श्री अब्दुल सत्तार कानि. मय स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल सिंह को जरिये दूरभाष रिश्वत लेनदेन की निगरानी के निर्देश दिये गये। मन् पुलिस निरीक्षक भी मय टीम अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ परिवादी के कॉल या इशारे के इंतजार मे थाना अयाना के आस-पास मुकिम हुये। समय 06:08 पीएम पर परिवादी श्री जोगराज योगी मन् पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित आया तथा बताया कि "थानाधिकारी श्रीमती बृजबाला व महीपाल कानि. अभी तक थाने पर नहीं आये है, बाकी जाप्ता थाने पर आ चुका

है। मैने थाने पर मौजूद जाप्ते से थानाधिकारी बृजबाला व महीपाल कानि. के बारे में मालुमात किया तो बताया कि मेडम व महीपाल अभी थाने पर नहीं आये हैं, कब तक आयेंगे, इसकी जानकारी हमें नहीं है। मैनें थाने से बाहर आकर टेप रिकार्डर बन्द कर लिया था।" परिवादी ने बताया कि "बृजबाला सीआई मेडम व महीपाल कानि को आने मे कितना भी समय लग सकता है और थानाधिकारी मेडम रात्रि के समय किसी से भी नहीं मिलती है, इसलिए अब वह मुझसे भी नहीं मिलेगी और रिश्वत राशि भी अभी नहीं लेगी। थानाधिकारी श्रीमती बृजबाला व महीपाल कानि. का कॉल मेरे पास आयेगा तो मै आपको सुचित कर दूंगा।" चूंकि उक्त गोपनीय स्थान थाना अयाना परिसर के नजदीक ही होने से गोपनीयता भंग होने की सम्भावना होने से मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता के साथ लाये वाहनों से गणेशगंज चौराहे की ओर रवाना हुये। समय 06:30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता के रवानाशुदा वाहनों से गणेशगंज चौराहे के पास गोपनीय स्थान पर पहुंचे। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार अब आज ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने से परिवादी की पहनी हुई जैकिट के अन्दर बांयी जेब में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर लगी हुई रिश्वत राशि 20,000 रूपये के नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार यादव से निकलवाया जाकर एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवाया जाकर गवाह के पास ही सुरक्षित रखवाया गया। डिजीटल वॉईस रिकार्डर परिवादी से प्राप्त किया जाकर उसे भी स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार के पास रखवाया गया। परिवादी श्री जोगराज योगी को श्रीमति बृजबाला सीआई एवं श्री महीपाल कानि. द्वारा रिश्वत राशि की मांग के सम्बन्ध में सम्पर्क करने पर तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करने एवं मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर मय उसके प्राईवेट वाहन के वहीं से रूखसत किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री धर्मवीर सिंह उप अधीक्षक पुलिस, श्रीमति दीपिका राठौड़ पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता के मय सरकारी वाहन मय चालक घनश्याम कानि. के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व अन्य सामग्री के गणेशगंज चौराहा से कार्यालय भ्रनिब्युरो एसयू कोटा हेतु रवाना हुये। समय 08:20 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री धर्मवीर सिंह उप अधीक्षक पुलिस, श्रीमति दीपिका राठौड़ पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता के मय सरकारी वाहन, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व अन्य सामग्री के कार्यालय हाजा उपस्थित आये। स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार यादव के पास सुरक्षित रखवाई गई रिश्वत राशि का सफेद रंग का लिफाफा व डिजीटल वॉईस रिकार्डर श्री रामगोपाल हैड कानि. 108 को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये। दोनों स्वतंत्र गवाहान को मामले की गोपनीयता बनाये रखने एवं आवश्यकता होने पर बुलाने पर तुरन्त उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 26.12.2022 को समय 11:00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री जोगराज योगी से जर्ये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि थानाधिकारी श्रीमती बृजबाला व श्री महीपाल सिंह कानि0 का मेरे पास कॉल नहीं आया और ना ही उन्होंने मुझसे इस बीच सम्पर्क किया है। अतः थानाधिकारी श्रीमती बृजबाला व श्री महीपाल सिंह कानि0 में से किसी का भी मेरे पास फोन आयेगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त हालात प्रभारी अधिकारी को अवगत करवायें।

दिनांक 03.01.2023 को समय 01:47 पीएम पर परिवादी श्री जोगराज योगी का काफी समय से फोन नहीं आने से मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री जोगराज योगी से जर्ये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि आरोपीगण श्रीमति बृजबालाल सीआई थानाधिकारी थाना अयाना एवं महीपाल सिंह कानि. को मुझ पर शक हो गया है। अब थानाधिकारी श्रीमती बृजबाला व महीपाल सिंह कानि0 मुझसे रिश्वत राशि नहीं लेंगे और ना ही रिश्वत राशि के सम्बन्ध में मुझसे बातचीत करेंगे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने तथा कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने की समझाईश की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा समस्त हालात प्रभारी अधिकारी को अवगत करवाये गये।

दिनांक 05.01.2023 को समय 11:30 एएम पर परिवादी श्री जोगराज योगी कार्यालय हाजा उपस्थित आया। परिवादी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसयू) कोटा के नाम एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि "श्रीमति बृजबालाल सीआई थानाधिकारी थाना अयाना एवं महीपाल सिंह कानि. को मुझ पर शक हो जाने के कारण अब मुझसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तथा रिश्वत राशि भी प्राप्त नहीं करेंगे। अतः मेरे द्वारा आरोपीगण को रिश्वत में देने हेतु आपको पेश की गई राशि 20,000 रूपये वापस लौटाने की कृपा करें।" परिवादी द्वारा बताये अनुसार अब ट्रेप कार्यवाही होने की संभावना नहीं लग रही है तथा परिवादी द्वारा उसके द्वारा पेश की गई राशि 20,000 रूपये वापस लौटाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने पूर्व के पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेश कुमार यादव व श्री गोपाल सिंह को

Anita

जरिये मोबाइल कार्यालय हाजा पर तलब किया गया। समय 01:30 पीएम पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार यादव कनिष्ठ सहायक व श्री गोपाल सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी सिंचाई विभाग, कोटा कार्यालय हाजा पर उपस्थित आए। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि वापस लौटाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढ़कर सुनाया गया। दोनों गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 01:50 पीएम पर कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी श्री जोगराज योगी एवं आरोपी श्री महीपाल सिंह कानि0 थाना अयाना जिला कोटा ग्रामीण के मध्य दिनांक 22.12.2022 को हुई थी एवं परिवादी द्वारा सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी, उक्त वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर से कार्यालय के लेपटॉप में श्री लालचन्द कानि0 30 के द्वारा लिवाया जाकर 04 पेन ड्राईव तैयार करवाये गये। प्रथम पेन ड्राईव वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिए, द्वितीय पेन ड्राईव आरोपी के लिए, तृतीय पेन ड्राईव नमूना आवाज कार्यवाही के लिए अलग-अलग कपड़े की थैली में रखे जाकर सील मोहर किये गये एवं कपडे की थेली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। चतुर्थ पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड रखा गया। फर्द डबिंग पेन ड्राईव पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि परिवादी श्री जोगराज योगी द्वारा बताये अनुसार आरोपीगण को परिवादी पर शक हो जाने कारण अब ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा परिवादी द्वारा आरोपीगण को रिश्वत में दिये जाने हेतु पेश की गई राशि 20,000 रूपये उसे वापस लौटाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः समय 02:30 पीएम पर कार्यालय के मालखाना से मालखाना प्रभारी श्री रामगौपाल हैड कानि0 से मालखाना में सुरक्षित रखवाई गई रिश्वत राशि 20,000 रूपये के सफेद लिफाफे को निकलवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष राशि पांच-पांच सौ रूपये के चालीस नोट कुल 20,000 रूपये पर लगे फिनोफ्थलीन पाउडर को झटकवाकर राशि नियमानुसार परिवादी को वापस लौटाई गई। कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी नोट पृथक से नियमानुसार मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् समय 03:00 पीएम पर परिवादी श्री जोगराज योगी को आवश्यक समझाईश कर कार्यालय से सकुशल रूखसत किया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेश कुमार यादव व श्री गोपाल सिंह को आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री महीपाल कानि. थाना अयाना जिला कोटा ग्रामीण द्वारा परिवादी श्री जोगराज योगी को झूठे मुकदमें में नहीं फंसाने व थाना पर मारपीट नहीं करने की एवज में थानाधिकारी थाना अयाना के नाम पर 20,000 रूपये की रिश्वत की मांग की गई। परिवादी की शिकायत पर दिनांक 22.12.2022 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया, जिसमें आरोपी श्री महीपाल सिंह कानि. द्वारा थानाधिकारी मेडम थाना अयाना के नाम पर परिवादी से उसे आरोपी नहीं बनाने एवं थाना पर मारपीट नहीं करने की एवज में 20,000 रूपये पूर्व मे प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति की तथा शेष रिश्वत राशि 20,000 रूपये अगले दिन दिनांक 23.12.2022 को एक साथ देने हेतु कहा गया। जिस पर दिनांक 23.12.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया किन्तु आरोपी उस दिन थाने पर नहीं होने से ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी। तत्पश्चात् किसी कारण से आरोपी को परिवादी पर शक हो जाने के कारण ट्रेप कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी। इस प्रकार आरोपी श्री महीपाल सिंह कानिस्टेबल थाना अयाना जिला कोटा ग्रामीण का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होना पाया गया। मांग सत्यापन वार्ता में आये अन्य व्यक्ति की भूमिका दौराने अनुसंधान स्पष्ट की जा सकेगी। सत्यापन कार्यवाही महीपाल सिंह कानि. के नाम से करवायी गयी थी, लेकिन सेवा विवरण में महीपाल होना पाया गया है।

अतः सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री महीपाल पुत्र श्री नैनाराम लिगा जाति जाट उम्र 28 साल निवासी ग्राम व पोस्ट खेरवा तहसील व थाना डेगाना जिला नागौर हाल कानि0 1108 थाना अयाना जिला कोटा ग्रामीण के विरूद्ध जुर्मधारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

Anita

(अनिता वर्मा)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
स्पेशल यूनिट कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री महीपाल पुत्र श्री नैनाराम, कानि. नम्बर 1108, पुलिस थाना अयाना, जिला कोटा ग्रामीण के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 111/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.5.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक-: 839-42 दिनांक 9.5.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण, कोटा।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, कोटा।

9.5.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।